न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारी:— प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्या:— 33/2019
जीसीएमएस नंबर:— 2019/00059

प्रार्थी:—

1. बालुराम पुत्र स्व. श्री बद्रीराम उर्फ बद्रीनारायण उर्फ बद्रीलाल, जाति माली उम्र 69 वर्ष निवासी— रूपावतों का बेरा, कालीबेरी वार्ड नं. 1 सूरसागर जोधपुर (राज) के कायम मुकाम:—
   1/1 महेन्द्र सिंह सांखला पुत्र स्व. श्री बालूराम उम्र 52 वर्ष जाति माली निवासी रूपावतों का बेरा काली बेरी जोधपुर
   1/2 डूंगरसिंह पुत्र स्व. श्री बालूराम उम्र 48 वर्ष जाति माली निवासी रूपावतों का बेरा काली बेरी जोधपुर।
   1/3 जितेन्द्र पुत्र स्व. श्री बालाराम उम्र 43 वर्ष जाति माली निवासी रूपावतों का बेरा काली बेरी जोधपुर।
   1/4 सीता देवी पुत्री स्व. श्री बालुराम पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह उम्र 50 वर्ष जाति माली निवासी रघुनाथ जी की बावड़ी चांदपोल जोधपुर।
   1/5 ममता परिहार पुत्री स्व. श्री बालुराम पत्नी श्री सुनील परिहार उम्र 46 वर्ष निवासी 33 भदवासिया 2 तिलक नगर जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।

<u>प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम</u>

—::आदेश::— दिनांक:— 08.09.2025

उपस्थिति:— 1. श्री राजेन्द्र सिंह गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों के संयुक्त खातेदारी व कब्जे की कृषि भूमि खेत खसरा सं. 131/3 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम पालड़ी मांगलिया पटवार क्षेत्र नारवा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मण्डोर, तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई थी व है। यह भूमि मूल रूप से खेत खसरा संख्या 131 रकबा 37 बीघा 15 बिस्वा का भाग थी व है। यह भूमि पूर्व में प्रार्थी व उसके परिवार के पूर्वजों की भूमि थी और प्रार्थी के पूर्वजों के देहान्त के उपरान्त यह भूमि प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के संयुक्त खातेदारी व कब्जा—काश्त में दर्ज हुई। खेत खसरा संख्या 131 रकबा 37 बीघा 15 बिस्वा के खातेदारान् मोहनलाल, नन्दलाल पुत्रान् रामलाल, बालुराम (प्रार्थी), बिड़दाराम, गिरधारीराम पुत्रान् बद्रीनारायण, दाकु बेवा बद्रीनारायण, माणकराम, गुमनाराम, हिम्मताराम, भगाराम, सन्तोकराम पुत्रान् चुन्नीलाल, विद्यादेवी बेवा चुन्नीलाल थे, जो सम्वत् 2041 से 2044 की जमाबंदी से स्पष्ट है। इसके उपरान्त इस भूमि के संयुक्त खातेदारों में से खातेदार मोहनलाल के फौत हो जाने पर सम्वत 2045 से 2048 की जमाबंदी में उनके स्थान पर उनके वारिसान् हेमसिंह, मगनीराम, नरसीगराम, ताराचंद पान् मोहनलाल, बालाराम, मूलाराम, अर्जुनराम, मुकनाराम, मीतुराम पुत्रान् रूपाराम, माडी बेवा रूपाराम का नाम दर्ज हुआ। इसी तरह उक्त कृषि भूमि सम्वत् 2049 से 2052 तक इसी तरह राजस्व रेकर्ड में विधिवत दर्ज थी। इसके उपरान्त सम्वत् 2053 से 2056 की जमाबंदी में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की भूल से खातेदार प्रार्थी बालुराम के स्थान पर बाबुलाल लिख दिया गया, जबकि राजस्व अधिकारियों को इस जमाबंदी में पूर्व जमाबंदियों में

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

अंकितानुसार प्रार्थी का नाम बालुराम दर्ज करना चाहिए था। तत्पश्चात् सम्वत 2057 से 2060 की जमाबंदी से स्पष्ट होता है कि लखुलास व का नाम दर्ज कर दिया गया है, जबकि वास्तव में बालुराम के नाम से दर्ज होनी चाहिए थी। यही नाम आज दिन भी चला आ रहा है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे कि प्रतिवादी, प्रार्थी की उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि के संबंध में दर्ज राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम बाबुलाल के स्थान पर बालुराम अंकन करे। अन्य उचित आदेश जो इस मामले में प्रार्थी के पक्ष में पारित करना आवश्यक व न्यायसंगत हो, वह पारित फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जोधपुर ने रिपोर्ट दिनांक 27.08.2025 में कथन किया कि ग्राम पालड़ी मांगलिया खसरा नम्बर 131/3 रकबा 1.5216 हैक्टेयर प्रार्थी बालूराम पुत्र बद्रीराम उर्फ बद्रीनारायण उर्फ बद्रीलाल जाति माली निवासी रूपावतों का बेरा सूरसागर जोधपुर की सहखातेदारी भूमि है। उक्त खातेदारी मे प्रार्थी का नाम बाबूलाल दर्ज है, जबकि प्रार्थी के आधारकार्ड व पेनकार्ड मे सही नाम बालूराम दर्ज है। मजमेआम में पूछताछ पर पाया कि प्रार्थी को दोनों नाम से जाना जाता है। प्रार्थी बालूराम का देहान्त हो चुका है। सरपंच, ग्राम पंचायत पालडी मांगलिया का प्रमाण पत्र दिनांक 05.08. 2025 द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि बालूराम पुत्र बद्रीराम व बाबूलाल पुत्र बद्रीराम एक ही व्यक्ति है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस पूर्ण की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस एवं बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर मनन किया गया एवं प्रार्थी के दस्तावेजों पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड व जन आधार का अवलोकन किया गया।

अतः तहसीलदार जोधपुर की अनुशंषा के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा सं. 131/3 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा वाकै ग्राम पालड़ी मांगलिया पटवार क्षेत्र नारवांतहसील व जिला जोधपुर राजस्व अभिलेख की जमाबंदी इत्यादि में प्रार्थी का नाम बाबुलाल के स्थान पर बालुराम दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिए जाते हैं। आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 08.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर